

दिनांक 13 अगस्त 2015

नमस्कार मित्रों

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बद्धता शुल्क को हटाने को लेकर ऑन्दोलन करने की योजना अभी छोड़ दी गई है क्योंकि आप लोगो की राय आई ही नहीं ।

आरटीई की फीडिग के लिए पोर्टल खुल गया है आप जल्द से जल्द फीडिग कर लवे ।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बाल संरक्षण आयोग ने हमारे पत्रो पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार / मुख्यमंत्री जी तक से आरटीई की रिक्त सीटो पर एडमीशन करने के निर्देश दिए है । सरकार ने रिक्त सीटो पर आई एप्लीकेशनो के आधार पर एडमीशन की योजना बनाई है ।

राज्य सरकार ने आदेशो की पालना मे जिला शिक्षा अधिकारियो से ऐसे प्रकरणो की जानकारी देने के लिए कहा है अर्थात उन निजी विद्यालयो की सूची एवं विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी करने के लिए कहा है ।

आपको यदि याद हो तो मैने आपको कई बार कहा है एवं एक पत्र अपनी वेबसाईट शिक्षा परिवार डॉट कॉम पर लिख कर डाल भी रखा है कि आप डीईओ को एक पत्र जरूर लिखे कि जिन विद्यालयो ने पत्र लिखे उनके लिए स्पेशल परमीशन आ गई है ।

मेरा अभी भी आप सब से निवेदन है कि आप आज ही अपने यहाँ आरटीई की रिक्त सीटो के विरुद्ध आई एप्लीकेशन की लिस्ट मेरे द्वारा दिये जा रहे फॉर्मेट मे अपने डीईओ को एवं एक कॉपी हमारे कार्यालय भिजवाने का कष्ट करावे ताकि हम उन्हे एकजाई करके बाल आयोग एवं कोर्ट मे पेश कर सके । ऐसा करने वाले स्कूलो मे अभी भी आरटीई के एडमीशन होंगे । कोई रोक नहीं सकता है । इस मैसेज को सभी ग्रुपो मे फैलावे प्लीज ।

हेमलता शर्मा / अनिल शर्मा / श्रवण बोहरा व टीम राजस्थान

अपने विद्यालय के लैटर हैड पर लिख कर रजीस्ट्री से भिजवाना है डीईओं को

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा

जिला

विषय – आरटीई के तहत रिजर्व रिक्त सीट्स पर एडमीशन देने की अनुमति देने बाबत ।

प्रसंग – आरटीई अधिनियम की धारा 13 के तहत 6 माह तक नियमति एडमीशन के प्रावधान होने के कारण ।

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन इस प्रकार है –

1. आरटीई अधिनियम 2009 में 6 से 14 आयु वर्ग के बालको को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का उत्तरदायित्व सरकारो को दिया है एवं एन्टी क्लास में कम से कम 25 प्रतिशत सीटो पर एडमीशन देने हेतु निजी विद्यालयो को पाबन्द किया गया है ।
2. उक्तरोक्त के क्रम में हमारे विद्यालय में सत्र 2015–16 के लिए एन्टी क्लास में .. सीटे आरटीई वाले बालको के लिए रिजर्व रखी गई थी ।
3. उक्त रिजर्व सीटो हेतु राज्य सरकार द्वारा लॉटरी दिनांक..... को निकाली गई लेकिन लॉटरी में शामिल छात्रो ने विद्यालय में रिपोर्ट नहीं की एवं आज दिनांक को विद्यालय में सीटे रिक्त है एवं इन सीटो पर एडमीशन लेने के लिए आरटीई नियमो के तहत पात्र..... छात्रो ने इस विद्यालय में आवेदन किया है । नियमानुसार ये छात्र पात्र है एवं हम भी एडमीशन देना चाहते है एवं आरटीई नियमो में सत्र प्रारम्भ से 6 माह तक एडमीशन देने के प्रावधान भी है ।
4. आरटीई पोर्टल पर एन्टी लॉक होने के कारण इन छात्रो को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण इनके अभिभावको ने कोर्ट में केस करने एवं थानो में मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी है ।

अतः : आपसे निवेदन है कि या तो आप इन्हे एडमीशन देने की अनुमति देवे अथवा इन्हे किस कानून के तहत एडमीशन से वंचित रखा जाए ? के आदेश की कॉपी से अतिशीघ्र इस कार्यालय को अवगत करावे । आप द्वारा जवाब नहीं आने की स्थिति में एडमीशन नहीं दिये जाने फलस्वरूप होने वाले किसी भी प्रकार के न्यायिक प्रकरण अथवा मुकदमे की जिम्मेवारी आपके कार्यालय की होगी ।

सूची संलग्न है ।

सचिव

